दिनांक 15.10.2026 को सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारी :–

1. श्री निखिल कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री अनिल कुमार मंडल, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा।
3. श्री प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना।
4. श्री शम्भू कुमार, अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर।
5. श्री बीरेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, दरभंगा।
6. श्री नवीन कुमार, अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, जयनगर।
7. श्री परशुराम यादव, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–4, पटना।
8. श्री ब्रजेश निराला, कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी।
9. श्री मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी।
10. श्री पीयुष प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली।
11. श्री सुमन बेदी, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना।

V.C. के माध्यम से उपस्थित पदाधिकारी/संवेदक के प्रतिनिधि :–

1. Consultant, Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd., Hyderabad

दिनांक 15.10.2026 को सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा एवं उनके अधीनस्थों के साथ पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एंव आधुनिकीकरण कार्य में आ रही तकनीकी समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा PPT के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया।

मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा वर्तमान में प्रगतिधीन **पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ERM) पार्ट–ए** कार्य के कार्यान्वयन में आ रही निम्नलिखित कठिनाईयों का उल्लेख किया गया है।

1. तकनीकी परीक्षण कोषांग निगरानी विभाग द्वारा पूर्व के एकरारनामा 01SBD/2020-21 के कार्य का औचक जाँच कर जाँच प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग में पत्रांक 3767 दिनांक 23.08.2022 द्वारा समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
2. पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य (पार्ट–ए) के एकरारनामा के पश्चात विभाग द्वारा पुराने एकरारनामा 01SBD/2020-21 के तहत कराये गये कार्यों को विभागीय उद्नदस्ता द्वारा जाँच कराया जा रहा है जो प्रक्रियाधीन है।
3. पूर्व के एकरारनामा सं0–01SBD/2020-21 के तहत दिनांक 15.03.2025 को कार्य पूर्ण हुआ है, तथा DLP दिनांक 15.03.2027 तक प्रभावी है।
4. एकरारनामा सं0–01SBD/2020-21 के एजेंसी HES-AMR (JV) के पत्रांक 1399 दिनांक 05.02.2026, पत्रांक 1415 दिनांक 04.05.2026, पत्रांक 1427 दिनांक 01.09.2026, पत्रांक

1431 दिनांक 14.10.2026 एवं अन्य पत्रों द्वारा विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए अंतिम विपत्र पारित करने एवं एकरारनामा बंद (Foreclose) करने का अनुरोध किया जा रहा है।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा अनुरोध किया गया कि ERM कार्य प्रारंभ होने के बाद उड़नदस्ता अंचल–1, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा दिनांक 15.10.2025 से 18.10.2025 तक पूर्व में एकरारनामा सं0–01एस0बी0डी0/2020–21 के तहत कराये गये **पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का अवशेष एवं पुनर्स्थापन कार्य** का स्थलीय जाँच किया गया तथा वर्त्तमान में जाँच जारी है।

- वर्त्तमान में प्रगतिधीन **पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ERM) पार्ट–ए** कार्य के सुचारु कार्यान्वयन हेतु पुराने एकरारनामा 01SBD/2020-21 के तहत कराये गये कार्यों का विभागीय उड़नदस्ता द्वारा किये जा रहे जाँच पर कार्यहित में शीघ्र अंतिम निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।
- एकरारनामा सं0–01एस0बी0डी0/2020–21 के तहत पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का अवशेष एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु दिनांक 15.03.2027 तक प्रभावी Defect Liability Period को पुनरीक्षण/समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

उक्त संदर्भ में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. समीक्षोपरांत प्रगतिधीन **पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ERM) पार्ट–ए** कार्य के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सचिव महोदय द्वारा विभागीय उड़नदस्ता द्वारा पुराने कार्य का किये जा रहे जाँच को समयबद्ध रुप से पूर्ण नहीं करने के कारण खेद प्रकट किया गया। अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–1, जल संसाधन विभाग, पटना को निदेश दिया गया कि उक्त जाँच को समयबद्ध ढ़ंग से एक माह के अंदर पुरा करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

   (कार्रवाई–अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–1, जल संसाधन विभाग, पटना)

2. क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा बताया गया कि पूर्व के एकरारनामा अंतर्गत नहरों के पुनर्स्थापन कार्य (मिट्टी कार्य) के साथ–साथ नये संरचनाओं का मरम्मति कार्य कराया गया। पुराने एकरारनामा का Defect Liability Period दिनांक 15.03.2027 तक प्रभावी है। खरीफ अवधि में प्रत्येक वर्ष नहरों में जलश्राव प्रवाहित कर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराई गई। वर्त्तमान एकरारनामा के तहत मुख्य नहर, शाखा नहर के साथ–साथ कतिपय वितरणी में कंक्रीट लाईनिंग कार्य कराया जा रहा है। अनुरोध किया गया कि कार्यहित में मिट्टी कार्य को छोड़कर संरचना कार्य पर ही Defect Liability Period लागू रखने हेतु अनुमति दी जाय।

   इस संदर्भ में इस शर्त्तों के साथ सहमति दी गई कि नहर प्रणाली में पुराने एकरारनामा के अंतर्गत निर्मित संरचनाओं तथा वर्त्तमान चालू एकरारनामा में सम्मिलित संरचनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराई जाय तथा सुनिश्चित करें कि संरचना कार्य में दोहरे भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हो।

3. तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा दिनांक 18.04.2022 को किये गये जाँच जिस पर विभागीय निगरानी कोषांग द्वारा अबतक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, चार वर्ष से

अधिक समय व्यतीत होने के बाद प्रतिवेदन लंबित रहने के संबंध में खेद प्रकट किया गया। लंबित कार्रवाई को एक माह के अंदर पूरा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। चूँकि विषयगत मामले में निगरानी विभाग द्वारा अग्रेतर जाँच कार्य शेष नहीं है, अतएव चालू एकरारनामा के तहत कराये जा रहे कार्य को इसके कारण लंबित नहीं रखने तथा ससमय पूरा करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा)

Nikhil Kumar 23/10/2026

(निखिल कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः–(मो0)2 दरभंगा–74/2025– 2089 /पटना, दिनांक : 23-10-2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–1, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(प्रशांत कुमार) 23/10/26
अधीक्षण अभियंता
यो0 एवं मोनि0 अंचल–2
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः–(मो0)2 दरभंगा–183/2022–पार्ट–I– 2089 /पटना, दिनांक : 23-10-2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(प्रशांत कुमार) 23/10/26
अधीक्षण अभियंता
यो0 एवं मोनि0 अंचल–2, पटना।

ज्ञापांकः–(मो0)2 दरभंगा–74/2025– 2089 /पटना, दिनांक : 23-10-2026

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(प्रशांत कुमार) 23/10/26
अधीक्षण अभियंता
यो0 एवं मोनि0 अंचल–2, पटना।

~~Meeting Karwahi(N)~~

ज्ञापांकः–(मो0)2 दरभंगा–74 / 2025– 2089 / पटना, दिनांक : 23-10-2026

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(प्रशांत कुमार)
अधीक्षण अभियंता
यो0 एवं मोनि0 अंचल–2, पटना।

ज्ञापांकः–(मो0)2 दरभंगा–74 / 2025– 2089 / पटना, दिनांक : 23-10-2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई तथा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)
अधीक्षण अभियंता
यो0 एवं मोनि0 अंचल–2, पटना।